

कार्यालय नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर

टैण्डर नोटिस

दिनांक :

समस्त विद्युत सामग्री निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सील बन्द टैण्डर दिनांक 24-6-08 को दोपहर 2.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। टैण्डर उसी दिन शाम 4.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/सप्लायर्स के समक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष खोले जायेंगे। टैण्डर फार्म दिनांक 23-6-08 को सायं 4.00 बजे तक निविदा शुल्क का भुगतान करके क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका परिषद कार्यालय के प्रकाश विभाग में देखी जा सकती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय	मेक	तादात	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	कार्य की अवधि
1.	सी0एफ0एल0 लाईट फिटिंग मय सी0 एफ0 एल. लैम्प 85 वाट की आपूर्ति। एस0यू0एल0 85 सी0 एफ0 आर0 एफ0 ए0 एल0 ई0 40 1X85 वाट	6,56,000/-	सूर्या	205 नग	300/-	13,200/-	तीन माह
2.	सी0एफ0एल0 लाईट फिटिंग की पोल पर स्थापना मय नट,बोल्ड, क्लैम्प, बैंड, केबिल, ऑन -ऑफ स्वीच आदि कम्पलीट ।						


नोट - निविदाओं का विवरण वैबसाईड www.bulandshahar.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

शर्तें :-

1. पांच लाख रूपये से अधिक अनुमानित व्यय के टैण्डर प्रपत्र कार्यालय नगर पालिका परिषद मार्ग प्रकाश, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपजिलाधिकारी सदर, प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) के कार्यालय में निविदा शुल्क का भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं।

2. पांच लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय की सील बन्द टेन्डर निर्धारित तिथि/समय पर कार्यालय नगर पालिका परिषद, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उपजिलाधिकारी (सदर), प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) के कार्यालयों में नगर पालिका परिषद द्वारा रखे गये टैण्डर बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स में डाला जायेगा।
3. पांच लाख रुपये से कम अनुमानित व्यय की टेन्डर के संबंध में समस्त कार्यवाही कार्यालय नगर पालिका परिषद के मार्ग प्रकाश विभाग से की जाएगी।
4. कार्य सं सम्बन्धित धरोहर राशि अनुमानित व्यय की 2 प्रतिशत धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में टैण्टर फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा जो कि अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक (प्लेज्ड) होनी चाहिए, धरोहर राशि के साथ नहीं होने पर प्राप्त टेन्डर पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. विद्युत सामग्री की आपूर्ति हेतु टैण्डर क्रय करते समय कम्पनी का अधिकृत सर्टीफिकेट जमा करना होगा।
6. विद्युत निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा में पंजीकृत "ए" श्रेणी लाईसेंस की छाया प्रति टैण्डर क्रय करते समय जमा करना होगा।
7. टैण्डर क्रय करते समय टिन नं0 तथा पैन नं0 की छाया प्रति जमा करनी होगी।
8. कम्पनी का अधिकृत सर्टीफिकेट, उ0प्र0 विद्युत सुरक्षा से पंजीकृत "ए" श्रेणी लाईसेंस (निर्माण कार्य) हेतु पेन नं0 टिन नं0 की छाया प्रति के आभाव में टेन्डर क्रय नहीं किया जा सकता।
9. समस्त टैण्डर बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।


अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बुलन्दशहर।